रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 1989/श्रावण 3, 1911
No. 385] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 1989/SRAVANA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1989

भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी सेवा के (निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1989

सा.का.नि. 711(अ) :—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम, अधिनियम 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण नियम) 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के उपबन्धों को 1 अगस्त, 1987 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

परन्तु कोई श्रेणी 1 अधिकारी अपना यह विकल्प दे सकेगा कि वह किसी ऐसी तारीख से, जो 1 अगस्त, 1987 से पूर्व की न हो और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से बाद की न हो, इन नियमों द्वारा शासित होना चाहेगा। किन्तु ऐसी दशा में वह इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निगम को अपने विकल्प की लिखित सूचना देगा।

परन्तु यह और कि इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगी।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1, अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण नियम, 1985) जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. श्रेणी 1 अधिकारियों के वेतनमान :—श्रेणी 1 अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे :—

1. (i) क्षेत्रीय प्रबन्ध/केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख ;	(क) सामान्य वेतनमान	5050-150-6550 रु.

	(ii) मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुविद	(ख) चयन वेतनमान: 6400-150-7000 रु.

टिप्पण :--

(1) केन्द्रीय कार्यालय में किसी विभाग के भारसाधक के रूप में पदस्थ चयन वेतनमान के अधिकारी कार्यकारी निदेशक के रूप में पदाभिहित होंगे।

(2) यद्यपि सामान्यतया केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबन्धकों के काडर में से लिए जाएंगे तथापि जहां इन काडर में इन पदों को भरने हेतु उपयुक्त अधिकारी उप लब्ध न हों वहां उन्हें उप क्षेत्रीय प्रबन्धकों/वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धकों और क्षेत्रीय कार्यालय के सचिवों/बीमाकों/लेखाकारों के काडर में से लिया जा सकेगा तथा उन्हें प्रमुख भारसाधक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

2. (i)	उप क्षेत्रीय प्रबन्धक वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक और केन्द्रीय कार्यालय के सचिव/बीमांकक/ लेखाकार	
(ii)	उप मुख्य इंजीनियर/ उप मुख्य वास्तुविद।	5350-150-5950 रु.
3. (i)	मण्डल प्रबन्धक और क्षेत्रिय कार्यालयों के सचिव/ बीमांकक/लेखाकार/ केन्द्रीय कार्यालय के उप सचिव (लेखापरीक्षा और निरीक्षण)/उप सचिव/उप बीमांकक/उप लेखाकार।	4520-130-4910-140-5050-150-5350 रु.
(ii)	अधीक्षण इंजीनियर/ वरिष्ठ कार्य सर्वेक्षक/ वरिष्ठ वास्तुविद।	
4. (i)	[सहायक मण्डल प्रबन्धक/ वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक और केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक सचिव/सहायक बीमांकक सहायक लेखाकार।	3660-120-4260-130-4910-140-5050 रु.
(ii)	कार्यपालक इंजीनियर/ कार्य सर्वेक्षक/उप वरिष्ठ वास्तुविद।	
5. (i)	शाखा प्रबन्धक/प्रशासनिक अधिकारी।	
(ii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर सहायक कार्य सर्वेक्षक/ वास्तुविद	2940-120-4260-130-4520 रु.
6. (i)	सहायक शाखा प्रबन्धक सहायक प्रशासन अधिकारी	
(ii)	सहायक इंजीनियर/सहायक वास्तुविद।	2100-120-4260रु.

टिप्पण :-- विभिन्न क्रम संख्यांकों के अन्तर्गत प्रविष्टि (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के संबंध में पृथक वरिष्ठता सूची रखी जाएगी।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"4क. वेतन मान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धि :--

कार्य अभिलेख संतोषजनक पाए जाने पर प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में किसी अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है, ऐसी सीमा तक पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक तीन संपूरित वर्षों के लिए वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जा सकेगी किन्तु अधिक से अधिक ऐसी दो वेतन वृद्धियां दी जा सकेंगी।

परन्तु जहां किसी अधिकारी को उसकी अंतिम वेतन वृद्धि या अंतिम अतिरिक्त वेतन वृद्धि, जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से तीन वर्षों के अन्त में ऐसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी जाती है तो उसका मामला प्रत्येक कलैंडर वर्ष में उस मास से अगले मास में जिसमें उसने उस वर्ष में बारह महीने की सेवा पूरी की हो, पुनर्विलोकन के लिए देय हो जाएगा और वह तब तक देय रहेगा जब तक कि उसे वेतन वृद्धि नहीं दे दी जाती है और यदि वेतन वृद्धि देने का विनिश्चय किया जाता है तो यह उस मास की पहली तारीख से [प्रभावी होगा जिसमें उस कलैंडर वर्ष में, पुनर्विलोकन देय हो गया है जिसमें वेतन वृद्धि देने का विनिश्चय किया जाता है।

स्पष्टीकरण :--

इस नियम के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, निगम का प्रबन्ध निदेशक होगा।"

4. उक्त नियमों में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"5. मंहगाई भत्ता :

(1) श्रेणी 1 अधिकारियों को लागू मंहगाई भत्ते का सामान्य मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:--

(क) सूचकांक :--औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक।

(ख) आधार :--1960=100 की शृंखला सूचकांक संख्या 600

(ग) दर :--मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 600 प्वाइंटों से ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक 4 प्वाइंटों के बढ़ने या उनमें कमी आने के लिए त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। श्रेणी 1 अधिकारियों को महंगाई भत्ता निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा :

मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए महंगाई भत्ते की दर
(i) 2850/रु. तक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत घन 1650/रु. से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत।
(ii) 2851/रु. से 4020/रु. तक	1650/का 0.67 प्रतिशत घन 2850/रु. और 1650/रु. के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत घन 2850/रु. से अधिक मूल वेतन का 0.33 प्रतिशत।
(iii) 4021/रु. और उससे अधिक	1650/रु. का 0.67 प्रतिशत घन 2850/रु. और 1650/रु. के बीच अंतर का 0.55 प्रतिशत घन 4020/रु. और 2850/रु. के बीच अंतर का 0.33 प्रतिशत घन 4020/रु० से अधिक मूल वेतन का 0.17 प्रतिशत।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत (जिसे इसके इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" कहा गया है) में 600 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 600-604-608-612 और इसी अनुक्रम में प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर संदेय महंगाई भत्ते का ऊर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा, और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम के उस सूचकांक से नीचे आ जाता है जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता दिया गया है तो संदेय महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण होने पर संदेय महंगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंकों के तत्समान होगा, यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू औसत अंक, अनुक्रम में कोई अंक नहीं है। तो संदेय महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्समान होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है। इस प्रयोजन के लिए तिमाही से मार्च, जून, सितम्बर, या दिसम्बर, के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत होगी। भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, में प्रकाशित अंतिम सूचकांक वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।

(3) किसी विशिष्ट मास के लिए महंगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए उस अंतिम तिमाही का त्रैमासिक औसत, जिसके लिए अंतिम सूचकांक उस मास की 15 तारीख को उपलब्ध है, लिया जाएगा। इस पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का वास्तविक संदेय उस मास से अगले मास में किया जाएगा जिसमें सुसंगत सूचकांक उपलब्ध हो।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. मकान किराया भत्ता :

(1) उपनियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, श्रेणी 1 अधिकारियों को संदेय मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत की दर पर दिया जाएगा जो अधिक से अधिक 500 रुपये प्रति मास होगा।

(2) अहमदाबाद, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, पुणे, पणजी या मारमुगांव में तैनात श्रेणी 1 अधिकारियों के मामले में मकान किराया भत्ता निम्नलिखित में से कम से कम संदेय होगा, अर्थात् :—

(क) कोई रकम, जो मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत के बराबर हो, या

(ख) कोई रकम, जो अधिकारी को चालू वेतनमान के न्यूनतम पर मूल वेतन के 6 प्रतिशत और उसके द्वारा संदत्त वास्तविक किराए के बीच अंतर के बराबर हो या जहां निवास स्थान का मालिक स्वयं अधिकारी ही हो वहां करों के रूप में निगम सहित उसके विनिधान का 12 प्रतिशत।

परन्तु संदेय रकम उपनियम (1) के अधीन विहित मकान किराया भत्ता से कम नहीं होगी और 600 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगी।

(3) श्रेणी 1 अधिकारी, जिन्हें निगम द्वारा निवास स्थान आवंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे जिसका विनिश्चय नियम समय समय पर करेगा और वे उपनियम (1) या उपनियम (2) के निबंधनों के अनुसार किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।"

6. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

श्रेणी 1 अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :—

तैनाती का स्थान	दर
(क) (1) वे नगर जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा पणजी और मारमुगांव, 1 अगस्त 1987 से।	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किंतु 220 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(2) मारमुगांव और पणजी से भिन्न गोवा राज्य के किसी नगर में, 19 मई, 1988 से।	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किंतु 220 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(3) गुड़गांव, वाशी और गांधीनगर में 12 मई, 1989 से।	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किंतु 200 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं।
(ख) (1) वे नगर जिनकी आबादी 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर, 1 अगस्त, 1987 से।	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किंतु 135 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(2) पंचकुला नगर में, 12 मई, 1989 से।	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किंतु 135 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।

टिप्पण :

1. इस नियम के प्रयोजनों के लिए आबादी के आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जनगणना में दिए गए हैं।

2. नगरों के अन्तर्गत उनकी बस्तियां भी हैं।

7. उक्त नियमों के नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7क. पर्वतीय स्थान भत्ता :

श्रेणी 1 अधिकारियों को देय पर्वतीय स्थान भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :—

(1) औसत समुद्र तल से 1,500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थान पर तैनात	मूल वेतन के 7 प्रतिशत की दर पर किन्तु 180 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(2) समुद्र तल से 1,000 मीटर और उससे ऊपर किन्तु 1,500 मीटर से कम की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात, सरकारी और ऐसे स्थानों पर तैनात, जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थान" घोषित किया गया है।	मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर किन्तु 150 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं"

8. उक्त नियमों में, नियम 7क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"7ख. किट भत्ता

निगम के प्रत्येक श्रेणी 1 अधिकारी को किसी ऐसे पर्वतीय स्थान को अपने स्थानांतरण पर, जहां उक्त नियमों के नियम 7क के निबंधनों के अनुसार पर्वतीय भत्ता संदेय है, 2000 रु. किट भत्ता दिया जाएगा ।

परन्तु यदि ऐसे अधिकारी ने किसी समय पूर्व ऐसा भत्ता लिया हो तो उसे किट भत्ता संदेय नहीं होगा ।

7ग. कार्यात्मक भत्ता :

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के वेतनमान में कार्यक्रमकर्ता या पद्धति विश्लेषकों या कार्यक्रमकों तथा पद्धति विश्लेषकों को 200 रु. प्रतिमास कार्यात्मक भत्ता दिया जाएगा ।

9. उक्त नियमों के नियम 8 में, उपनियम (1) में, "8-1/3 प्रतिशत" अंक और शब्दों के स्थान पर 1 अप्रैल, 1989 से "10 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 9 में,

(1) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) ऐसे श्रेणी 1 अधिकारी के मामले में, जिसे 1 अप्रैल, 1973 को या उसके पश्चात श्रेणी III काडर से प्रोन्नत किया जाता है और जिसकी प्रोन्नति के पश्चात मृत्यु हो जाती है या वह सेवानिवृत्त हो जाता है, उसे निम्नलिखित उपदान संदेय होगा :—

(क) उपनियम (2) के अधीन ग्राह्य उपदान की रकम; या

(ख) उपदान की वह रकम जिसे पाने का ऐसा कर्मचारी हकदार होता यदि वह उस समय तब जब उपदान देय और संदेय होता, श्रेणी 3 जो भी अधिक हो, कर्मचारी के रूप में बना रहता ।"

(2) उपनियम (4) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) पूर्वगामी उपनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

(1) जहां किसी श्रेणी 1 अधिकारी पर प्रबंधतंत्र या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा से अंतर्ग्रस्त किसी कार्य के लिए या नियोजन के स्थान में या उसके निकट किसी बलवाई या विच्छेदक व्यवहार के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो, परन्तु तब जब ऐसा अपराध उसने अपने नियोजन के अनुक्रम में किया हो, पदच्युति की शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहां उसे संदेय अनुदान पूर्णतः समपहृत हो जाएंगे;

(2) जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाए जाने पदच्युति की शास्ति किसी कर्मचारी पर उसके ऐसे कार्य के लिए, जिससे निगम को वित्तीय हानि सहनीय पड़े, अधिरोपित की जाए, वहां उसको संदेय उपदान से उतनी राशि समपहृत होगी जितनी हानि हुई हो ।"

[फा.सं. 2(16)बीमा 111/89]

एन.आर. रंगानाथन, अवर सचिव
(बीमा)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, 1 अगस्त, 1987 से भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी 1 अधिकारियों की सेवा के कुछ निबंधनों और शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है । तदनुसार नियमों को, 1 अगस्त, 1987 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है ।

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी श्रेणी 1 अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

(3) मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 794(अ) तारीख 11 अक्तूबर 1985 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका संशोधन अधिसूचना सं.सा.का.नि. 960(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1987 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

INSURANCE DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 1989

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA CLASS I OFFICERS (REVISION OF TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT RULES, 1989

G.S.R. 711(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely :—

1. Short title and commencement and application :

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1989.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1987.

Provided that a Class I Officer may choose that he shall be governed by these Rules from any date which shall not be earlier than the 1st day of August, 1987 and later than the date of publication of these Rules, in which case he shall intimate such choice in writing to the Corporation within thirty days of publication of these Rules :

Provided further that no arrears for the period perior to the date so chosen shall be payable to such officer.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said Rules,), for rule 4 of the said Rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Scales of Pay of Class I Officers :

The Scales of Pay of Class I Officers shall be as under :—

1. (1) (i) Zonal Managers/Chiefs of Departments at Central Office	(a) Ordinry Scale :	Rs. 5950-150-6550
(ii) Chief Engineer/ Chief Architect	(b) Selection Scale :	Rs. 6400-150-7000

Notes : (1) Officers in Selection Scale posted in-charge of a Department at the Central Office will be designated as Executive Directors.

(2) While Chiefs of Departments at Central Office would normally be drawn from the cadres of Zonal Managers, where suitable Officers for filling up these posts are not available from this cadre they may be drawn from the cadre of Deputy Zonal Managers/ Senior Divisional Managers/Secretaries/Actuaries/Accountants at Central Office and they will be designated as Chief-in-Charge.

(2)	(i) Deputy Zonal Manager/ Senior Divisional Managers and Secretaries/Actuaries/ Accountant at the Central Office.	Rs. 5350-150-5950.
	(ii) Deputy Chief Engineers/Deputy Chief Architects	
(3)	(i) Divisional Managers and Secretaries/ Actuaries/Accountants at the Zonal Offices/ Deputy Secretaries (A&I)/ Deputy Secretaries/ Deputy Actuaries/ Deputy Accountants at the Central Office.	Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350.
	(ii) Superintending Engineers/Senior Surveyors of Works/ Senior Architects.	
(4)	(i) Assistant Divisional Managers/Senior Branch Managers and Assistant Secretaries/Assistant Actuaries/Assistant Accountants at the Central Office and Zonal Office.	Rs. 3660-120-4260-130-4910-140-5050.
	(ii) Executive Engineers/ Surveyors of Works/ Deputy Senior Architects.	
(5)	(i) Branch Managers/ Administrative Officers	Rs. 2940-120-4260-130-4520.
	(ii) Assistant Executive Engineers/Assistant Surveyors of Works/ Architects.	
(6)	(i) Assistant Branch Managers/Assistant Administrative Officers	Rs. 2100-120-4260.
	(ii) Assistant Engineers/ Assistant Architects	

Note : A separate seniority list shall be maintained in respect of officers appointed to posts specified in entry (ii) under various serial numbers."

3. In the said Rules, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"4A. Addition to basic pay after reaching maximum of scale :

Subject to the work record being found satisfactory, an Officer in the scale of pay of Administrative Officer, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an additional increment equal to the last increament drawn by him in the scale of pay, subject to a maximum of two such increments :

Provided that where an Officer is not granted such additional increment at the end of three years from the date of his last increment or the last additional increment, as the case may be, his case shall fall due for review in each calendar year in the month following that in which he completes twelve months of service in that year, so long as he has not been allowed the increment, and if it is decided to allow the increment, it shall take effect from the first of the month in which the review has fallen due in the calendar year in which the decision is taken to allow the increment.

Explanation :—

For the purpose of this rule, the competent authority to allow the additional increment shall be the Managing Director of the Corporation."

4. In the said Rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. Dearness Allowance

(1) The scales of dearness allowance applicable to Class I Officers shall be determined as under :—

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No. 600 in the Serial 1960—100

(c) Rate : Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall, in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 600 points. Class I Officers may be paid Dearness Allowance at the following rate :—

Basic Pay	Rate of D.A. for every 4 points
(i) Upto Rs. 2850/-	0.67% of Rs. 1650 plus 0.55% of basic pay in excess of Rs. 1650/-.
(ii) Rs. 2851/- to Rs. 4020/-	0.67% of Rs. 1650 plus 0.55% of difference between Rs. 2850 and Rs. 1650/- plus 0.33% of basic pay in excess of Rs. 2850/-.
(iii) Rs. 4021/- and above	0.56% of Rs. 1650 plus 0.55% of difference between Rs. 2850 and Rs. 1650 plus 0.33% of difference between Rs. 4020 and Rs. 2850 plus 0.17% of basic pay in excess of Rs. 4020/-.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 600 point in the sequence 600-604-608-612 and so on and there shall be a downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure

in the above sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the above sequence. For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December. The final Index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of Dearness Allowance.

(3) For the purpose of calculating dearness allowance for a particular month, the quarterly average for the last quarter for which the final index figures are available on the 15th day of that month shall be taken. Actual payment of this revised dearness allowance shall be made in the month following that in which the relevant index figures are available."

5. For rule 6 of the said Rules, following rule shall be substituted, namely :—

"6. HOUSE RENT ALLOWANCE :

(1) Save as otherwise provided in sub-rule (2) the house rent allowance payable to Class I Officers shall be at the rate of 12.5 per cent of the basic pay, subject to a maximum of Rs. 500 per month.

(2) In case of Class I Officers posted at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, Pune, Panaji or Marmugao, the house rent allowance, payable shall be the least of the following namely :—

(a) an amount equivalent to 12.5 per cent of the basic pay; or

(b) an amount equal to the difference between 6 per cent of the basic pay at the minimum of the scale of pay applicable to the officer and the actual rent paid by him or 12 per cent of his investment together with outgoings by way of taxes where the residential accommodation is owned by the Officer :

Provided that the amount payable shall not be less than the house rent allowance prescribed under sub-rule (1) and not more than Rs. 600 per month.

(3) Class I Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation shall pay for such accommodation appropriate licence fee as may be decided by the Corporation from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance in terms of either sub-rule (1) or sub-rule (2)".

6. For rule 7 of the said Rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. City Compensatory Allowance :

The scale of City Compensatory Allowance payable to Class I Officers shall be as under :—

Place of Posting		Rate
(a)	(i) Cities with population exceeding 12 lakhs, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Panaji and Marmugao, on and from 1st day of August, 1987	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
	(ii) Any city in the State of Goa other than Panaji and Marmugao on and from the 19th day of May, 1988	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
	(iii) Cities of Gurgaon, Vashi and Ghandinagar on and from the 12th day of May, 1989	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
(b)	(i) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State Capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry and Port Blair on and from the first day of August, 1987.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month.
	(ii) City of Panchkula on and from 12th day of May, 1989	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/-per month.

Notes: 1. For the purpose of this rule the population figure shall be those in the 1981 Census Report.

2. Cities shall include their urban agglomerations"

7. In the said Rules, for rule 7A, the following rule shall be substituted, namely :—

"7A. Hill Allowance :

The scales of hill allowance payable to Class I Officers shall be as follows :—

(i) Posted at places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level.	At the rate of 7 per cent of the basic pay subject to a maximum of Rs. 180 per month.
(ii) Posted at places situated at a height of 1000 metres and over but less than 1500 metres above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as 'Hill Stations' by Central/ State Governments for their employees.	At the rate of 5 per cent of the basic pay subject to a maximum of Rs. 150 per month."

8. In the said Rules, after Rule 7A, the following rules shall be inserted, namely :—

"7B. Kit Allowance :

Every Class I Officer of the Corporation, on his transfer to any of the hill stations at which hill allowance is payable in terms of Rule 7A of the said Rules, shall be paid a kit allowance of Rs. 2000/-.

Provided that no kit allowance shall be payable is such officer has drawn such allowance at any time earlier.

7C. Functional Allowance :

Programmers or System Analysts or Programmers-cum System Analysts in the scale of pay of Assistant Administrative Officer, Administrative Office or Assistant Divisional Manager shall be paid a functional allowance of Rs. 200/- per month."

9. In rule 8 of the said Rules, in sub-rule (i), for the figures and words "8-1/3 per cent", the figures and words "10 per cent" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1989.

10. In rule 9 of the said Rules, (i) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) In the case of a Class I Officer who has been promoted from Class III cadre on or after the 1st day of April 1973 and dies or retires after promotion the gratuity payable to him shall be :—

(a) the amount of gratuity admissible under sub-rule (2); or

(b) the amount of gratuity which such employee would have been entitled to had he continued as a Class III employee when the gratuity becomes due and payable;

whichever is higher."

(ii) for Clause (b) of sub-rule (4) the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-rule—

(i) Where the penalty of dismissal is imposed on a Class I Officer for any act involving violence against the management or other employees or any riotous or disorderly behaviour in or near the place of employment or for an offence involving moral turpitude provided that such offence is committed by him in the course of his employment, the gratuity payable to him shall stand wholly forfeited;

(ii) Where the penalty of compulsory retirement, removal from service or dismissal is imposed on a Class I Officer for any act involving the Corporation in financial loss, the gratuity payable to him shall stand forfeited to the extent of such loss."

[F. No. 2 (16) INS. III/89]

N.R. RANGANATHAN, Addl. Secy.
(Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise certain terms and conditions of service of Class I Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from 1st August, 1987. The rules are accordingly given retrospective effect from 1st August, 1987.

2. It is certified that no Class I Officer of the Life Insurance Corporation is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

3. The rules were originally notified under GSR 794 (E) on 11th October, 1985 and were subsequently amended by notification dated 7th December, 1987 under GSR 960 (E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989